यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय **अधिशासी अभियन्ता, अनुरक्षण शाखा (गंगा), उत्तराखण्ड जल संस्थान, हरिद्वार** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय **अधिशासी अभियन्ता, अनुरक्षण शाखा (गंगा), उत्तराखण्ड जल संस्थान, हरिद्वार** के माह **अप्रैल 2019 से मार्च 2020** तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री संजीव कुमार एवं श्री राजेश डोभाल ,सहायक लेखा परीक्षा अधिकारियों एवं श्री अरुण कुमार शर्मा, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी (त.) द्वारा दिनांक **26/10/2020 से 03/11/2020** तक श्री अनिल कुमार जैन, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पूर्णकालिक पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग-I

1. **परिचयात्मकः** इस इकाई की विगत लेखा श्री अरिन्दम चटर्जी, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं श्री जोगिन्दर सिंह, वरिष्ठ लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक 27/08/2019 से 31/08/2019 तक श्री संजय कुमार वर्मा, लेखापरीक्षा अधिकारी के पूर्ण पर्यवेक्षण में सम्पादित की गई थी एवं उक्त लेखा परीक्षा में माह अगस्त 2015 से मार्च 2019 तक के लेखा अभिलेखों की सामान्यतः जांच की गई थी।

2. **(i) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार:**

   कार्यालय **अधिशासी अभियन्ता, अनुरक्षण शाखा (गंगा), उत्तराखण्ड जल संस्थान, हरिद्वार** के द्वारा एस.टी.पी. का रख-रखाव एवं सीवरेज यंत्रों का संचालन एवं रख-रखाव के कार्य किये जाते है।भौगोलिक अधिकार क्षेत्र हरिद्वार, ऋषिकेश एवं रुड़की है।

   (ii) बजट

   (अ) विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः-

   (धनराशि ` लाख में)

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना		गैर स्थापना		आधिक्य/व्यय	
	स्थापना	गैरस्थापना	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय	स्थापना	गैर स्थापना
2017-18	13.82	20.24	1213.29	1211.98	207.19	200.10	15.13	27.33
2018-19	15.13	27.33	1280.09	1278.00	345.83	298.85	17.22	74.31
2019-20	17.22	74.31	1491.93	1496.52	324.86	331.74	12.63	67.43

   (ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः-

   (धनराशि ` लाख में)

योजना का नाम	2017-18			2018-19			2019-20		
	प्रा. अवशेष	प्राप्त	व्यय	प्रा. अवशेष	प्राप्त	व्यय	प्रा. अवशेष	प्राप्त	व्यय
	-	-	-	-	-	-	-	-	-

   जिला योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः-

   (धनराशि ` लाख में)

2017-18			2018-19			2019-20		
प्रा. अवशेष	प्राप्त	व्यय	प्रा. अवशेष	प्राप्त	व्यय	प्रा. अवशेष	प्राप्त	व्यय
-	-	-	-	-	-	-	-	-

राज्य योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः-

(धनराशि ` लाख में)

2017-18			**2018-19**			**2019-20**		
प्रा. अवशेष	**प्राप्त**	**व्यय**	**प्रा. अवशेष**	**प्राप्त**	**व्यय**	**प्रा. अवशेष**	**प्राप्त**	**व्यय**
-	10.00	10.00	-	141.08	98.77	98.26	119.20	200.18

(iii) इकाई को बजट आवंटन योजना हेतु केन्द्रीय सहायता, राज्य अनुदान एवं स्वयं के श्रोत से किया जाता है। स्थापना व्यय को सम्मिलित करते हुए इकाई "**C**"श्रेणी की है। विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

सचिव, पेयजल विभाग

मुख्य महाप्रबन्धक, जल संस्थान

महाप्रबन्धक, जल संस्थान

अधीक्षण अभियन्ता, जल संस्थान

अधिशासी अभियनता, जल संस्थान

(iv) **लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः** लेखापरीक्षा में कार्यालय **अधिशासी अभियन्ता, अनुरक्षण शाखा (गंगा), उत्तराखण्ड जल संस्थान, हरिद्वार** को आच्छादित किया गया। यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय कार्यालय **अधिशासी अभियन्ता, अनुरक्षण शाखा (गंगा), उत्तराखण्ड जल संस्थान, हरिद्वार** की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। लेखा परीक्षा द्वारा सर्वाधिक व्यय के आधार पर विस्तृत जांच एवं विश्लेषण हेतु माह मार्च- 2020 का चयन किया गया।

(v) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 13 , लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियमन-2017 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

भाग-II (ब)

प्रस्तर 01: ` 0. 2.37 लाख लेबर सेस की कटौती न किया जाना।

Operation & Maintenance of 27 MLD Capacity sewage treatment plant based on SBR Technology for 5 years at Jagjgeetpur Haridwar Uttarakhand 27 MLD के रखरखाव एंव अनुरक्षित कार्य हेतु कुल 05 वर्ष के लिये M/s UPL Environmental Ltd. के साथ अनुबन्ध संख्या 16/ई0ई0/2016-17 दिनांक 01.10.2016 से आगे 05 वर्ष के लिये कुल धनराशि ` 43993476.00 के सापेक्ष गठित किया गया था। कुल 05 वर्षे में प्रतिवर्ष की धनराशि निश्चित थी। वर्ष 2019-20 के लिये अनुबन्ध में ` 9447090.00 निर्धारित थी।

भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन एवं सेवा शर्ते अधिनियम) कल्याण उपकर अधिनियम 1996 के अन्तर्गत राज्य सरकार के शासनादेश (नवम्बर 2010) के द्वारा राज्य के विभिन्न विभागों के द्वारा राज्य में करवाये जाने वाले निर्माण कार्यो के अन्तर्गत ठेकेदारों को किये जोने वाले भुगतान से कार्य की कुल लागत पर एक प्रतिशत की दर से लेवर सेस की कटौती किये जाने का प्रावधान था।

खण्ड की अधीन वर्ष 2019-20 के विभिन्न एस0टी0पी0 के अनुरक्षण एवं रखरखाव कार्य के सापेक्ष विभिन्न ठेकेदारों का ` 23702394.00 का भुगतान किया गया था, जिस पर उपर्युक्त शासनादेश के प्रावधान के अनुसार एक प्रतिशत की दर से ` 237023.00 लेबर सेस की कटौती किया जाना था। लेकिन खण्ड द्वारा कोई कटौती नही की गई थी।

प्रकरण इंगित किये जाने पर खण्ड द्वारा उत्तर में बताया गया है कि लेबर सेस की वसूली कर ली जायेगी।

प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-II (ब)

प्रस्तर 02: त्रुटिपूर्ण वेतन निर्धारण के कारण कर्मचारी को ` 64317.00 का वेतन के रुप में अधिक भुगतान किया जाना।

श्री मुंशी सिंह (वर्क मुंशी) जिनकी सेवापुस्तिका की जांच में शाखा द्वारा वेतन निर्धारण निम्न प्रकार पाया गया जो कि त्रुटिपूर्ण था।

शाखा द्वारा वेतन का निर्धारण	***लेखापरीक्षा द्वारा वेतन का निर्धारण***
31/12/2015 आहरित वेतन ग्रेड वेतनः 2800 पे-बैण्ड में वेतनः 9440 मूल वेतन (ग्रेड वेतन सहित) 12240	31/12/2015 आहरित वेतन ग्रेड वेतनः 2800 पे-बैण्ड में वेतनः 9440 मूल वेतन (ग्रेड वेतन सहित) 12240
2.57 के फिटमेंट गुणांक से गुणा करने के पश्चात वेतनः 31971.00	*2.57 के फिटमेंट गुणांक से गुणा करने के पश्चात वेतनः 31456.80*
दिनांक 01.01.2016 को वेतन मैट्रिक्स में संशोधित वेतन (लेवल-05 में या तो 31971.00 के बराबर या उससे अगली उच्चतर राशि) 32900.00	*दिनांक 01.01.2016 को वेतन मैट्रिक्स में संशोधित वेतन (लेवल-05 में या तो 31456.80 के बराबर या उससे अगली उच्चतर राशि) 31900.00*
दिनांक 01.01.2016 को वार्षिक वेतन वृद्धि के पश्चात वतेनः 33900.00	दिनांक 01.01.2016 को वार्षिक वेतन वृद्धि के पश्चात वतेनः 32900.00
दिनांक 01.01.2017 को वार्षिक वेतन वृद्धि के पश्चात वेतनः 34900.00	दिनांक 01.01.2017 को वार्षिक वेतन वृद्धि के पश्चात वेतनः 33900.00
दिनांक 01.01.2018 को वार्षिक वेतन वृद्धि के पश्चात वेतनः 35900.00	दिनांक 01.01.2018 को वार्षिक वेतन वृद्धि के पश्चात वेतनः 34900.00
दिनांक 01.01.2019 को वार्षिक वेतन वृद्धि के पश्चात वेतनः 37000.00	दिनांक 01.01.2019 को वार्षिक वेतन वृद्धि के पश्चात वेतनः 35900.00
दिनांक 01.01.2020 को वार्षिक वेतन वृद्धि के पश्चात वेतनः 38100.00	दिनांक 01.01.2020 को वार्षिक वेतन वृद्धि के पश्चात वेतनः 37000.00

उपरोक्त से स्पष्ट था कि 31/12/2015 के मूलवेतन को फिटमेंट गुणांक 2.57 से गुणा न करके किसी अन्य गुणांक से गुणा किया गया था जो कि त्रुटिपूर्ण था। उक्त त्रुटि के कारण 01/01/2016 से श्री मुंशी सिंह (वर्क मुंशी) को एक वेतन वृद्धि अतिरिक्त दी जा रही थी। जिससे वर्तमान तक श्री मुंशी सिंह (वर्क मुंशी) को **`64317.00** का वेतन के रुप में अधिक भुगतान किया गया। लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर शाखा द्वारा अपने उत्तर में बताया गया कि वेतन के निर्धारण की जांच कर वसूली की कार्यवाही कर ली जायेगी।

अतः ` **64317.00** का वेतन के रुप में अधिक भुगतान का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-II (ब)

प्रस्तर 03: अंशदायी पेंशन योजना से आच्छादित कर्मचारियों को संस्था से मिलने वाले 4 प्रतिशत के अतिरिक्त अंशदान ` 92600.00 एवं उस पर देय लाभ से वंचित रहना।

राज्य सरकार की अधिसूचना संख्या 21/XXVII(7)अ0पे0यो0/2005 दिनांक 25.10.2005 द्वारा राज्य सरकार की सेवा में और राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन सरकार द्वारा वित्त पोषित ऐसी समस्त स्वायत्तशासी संस्थाओं एवं सरकार से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं, जिनमें राज्य सरकार की पुरानी पेंशन योजना की भांति पेंशन योजना लागू थी, में 01.10.2005 से समस्त नई भर्तियों पर नई परिभाषित अंशदान पेंशन योजना (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली) लागू की गई है।

भारत सरकार की अधिसूचना संख्या 41 दिनांक 31.01.2019 द्वारा यह व्यवस्था कर दी गयी है कि राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अन्तर्गत कर्मचारी का मासिक अंशदान उसके वेतन और महगाई भत्ते का 10 प्रतिशत होगा और केन्द्र सरकार का मासिक अंशदान दिनांक 01 अप्रैल 2019 से वेतन और महगाई भत्ते का 14 प्रतिशत होगा।

उक्त के तर्ज पर उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या 169/42/XXVII(10)/2018/2019 के बिन्दु संख्या-4 द्वारा निर्देश हुआ है कि केन्द्र सरकार की उपर्युक्त अधिसूचना दिनांक 31.012019 में की गयी व्यवस्था के क्रम में राज्य सरकार द्वारा अपने कर्मचारियों के संबंध में यह निर्णय लिया गया है कि एन0पी0एस0 के अन्तर्गत कर्मचारी द्वारा पूर्ववत वेतन और महगाई भत्ते के 10 प्रतिशत के समतुल्य धनराशि का मासिक अंशदान किया जायेगा तथा दिनांक 01 अप्रैल 2019 से राज्य सरकार अथवा संबंधित स्वायत्तशासी संस्था/ निजी शिक्षण संस्था द्वारा वेतन और महंगाई भत्ते के 14 प्रतिशत के बराबर नियोक्ता का अंशदान किया जायेगा।

इकाई में नई अंशदायी पेंशन योजना से आच्छादित कर्मचारियों के अंशदान तथा नियोक्ता द्वारा दिये गए अंशदान से संबन्धित लेखा-अभिलेखों की जांच में पाया गया कि नियोक्ता द्वारा कर्मचारियों को नियोक्ता अंशदान के रूप में निम्नानुसार ` 92600/- कम धनराशि उनके PRAN के सापेक्ष जमा कराये जाने हेतु मुख्यालय को प्रेषित की गई थी:-

क्र. सं.	कर्मचारी का नाम, पदनाम	कर्मचारी का अंशदान				नियोक्ता का अंशदान		
		अप्रैल-19	मई-19	जून-19	कुल (अप्रैल-19 से जून-19)	जो दिया जाना था (@14%)	जो दिया गया (@10%)	अन्तर
1.	श्री अजय कुमार (सहायक अभियन्ता)	7504.00	7504.00	7504.00	22512.00	31516.8	22512.00	9004.80
2.	श्री मनोज कुमार (अ0सहा0अभियन्ता)	6182.00	6182.00	6182.00	18546.00	25964.4	18546.00	7418.40
3.	श्री अशोक सिंह (अ0सहा0अभियन्ता)	5824.00	5824.00	5824.00	17472.00	24460.8	17472.00	6988.80
4.	श्री मुकेश कुमार सक्सेना (अ0सहा0 अभियन्ता)	6003.00	6003.00	6003.00	18009.00	25212.6	18009.00	7203.60
5.	श्री अजय सिंह सैनी (अ0सहा0 अभियन्ता)	6003.00	6003.00	6003.00	18009.00	25212.6	18009.00	7203.60
6.	श्री विक्रम सिंह (कनिष्ठ अभियन्ता)	5174.00	5174.00	5174.00	15522.00	21730.8	15522.00	6208.80
7.	श्री दीपक सिंह (कनिष्ठ अभियन्ता	0.00	0.00	5029.00	5029.00	7040.6	5029.00	2011.60
8.	कु0 नेहा गौड़ (सहायक लेखाकार)	0.00	0.00	981.00	981.00	1373.4	981.00	392.40
9.	श्रीमती मनीषा (सहायक लेखाकार)	0.00	0.00	436.00	436.00	610.4	436.00	174.40
10.	श्री प्रताप सिंह नेगी (वरिष्ठ सहायक)	3573.00	3573.00	3573.00	10719.00	15006.6	10719.00	4287.60
11.	कु0 दीपशिखा (कनिष्ठ सहायक)	3002.00	3002.00	3002.00	9006.00	12608.4	9006.00	3602.40
12.	श्री जगत सिंह (कनिष्ठ सहायक)	2666.00	2666.00	2666.00	7998.00	11197.2	7998.00	3199.20
13.	श्री अतुल नेगी (कनिष्ठ सहायक)	2666.00	2666.00	2666.00	7998.00	11197.2	7998.00	3199.20
14.	श्री गोविन्द प्रसाद (कनिष्ठ सहायक)	2666.00	2666.00	2666.00	7998.00	11197.2	7998.00	3199.20

15.	श्री लक्की (सीवर बेलदार)	2016.00	2016.00	2016.00	6048.00	8467.2	6048.00	2419.20
16.	श्री तरुण कुमार (सहा0 लाईन मैन)	2139.00	2139.00	2139.00	6417.00	8983.8	6417.00	2566.80
17.	श्री मनीष (सीवर बेलदार)	2016.00	2016.00	2016.00	6048.00	8467.2	6048.00	2419.20
18.	श्री सन्दीप कुमार (चौकीदार) -PJN	2789.00	2789.00	2789.00	8367.00	11713.8	8367.00	3346.80
19.	श्रीमती दिव्या (स्वच्छकार) -PJN	2789.00	2789.00	2789.00	8367.00	11713.8	8367.00	3346.80
20.	श्री राजेश (स्वच्छकार) -PJN	2867.00	2867.00	2867.00	8601.00	12041.4	8601.00	3440.40
21.	श्रीमती उमा देवी (रनर) -PJN	3091.00	3091.00	3091.00	9273.00	12982.2	9273.00	3709.20
22.	श्री दीपक कुमार (जू0 फिटी) -PJN	2957.00	2957.00	2957.00	8871.00	12419.4	8871.00	3548.40
23.	श्रीमती कौशल देवी (स्वच्छकार) -PJN	3091.00	3091.00	3091.00	9273.00	12982.2	9273.00	3709.20
	कुल				**231500.00**	**324100.00**	**231500.00**	***92600.00***

उपरोक्त से स्पष्ट है कि संस्था द्वारा अप्रैल 2019 से जून 2019 तक 14 प्रतिशत का अंशदान न देकर 10 प्रतिशत ही दिया गया था तथा संस्था द्वारा दियें गये अंशदान एवं दिये जाने वाले अंशदान के अन्तर के बराबर एरियर के रुप में भी नहीं दिया गया था। जिससे कर्मचारियों को संस्था से मिलने वाले 4 प्रतिशत के अतिरिक्त अंशदान ` 92600.00 एवं उस पर देय लाभ से वंचित रहना पड़ा।

लेखापरीक्षा द्वारा प्रकरण इंगित किये जाने पर शाखा द्वारा उत्तर में बताया गया कि मुख्यालय से शासनादेश विलम्ब से प्राप्त हुआ। वर्तमान में मुख्यालय से दिशा-निर्देश प्राप्त कर उक्तानुसार कार्यवाही कर दी जायेगी।

अतः प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-II (ब)

प्रस्तर 04: विविध अग्रिम की वसूली नहीं किया जाना।

कार्यालय अधिशासी अभियंता अनुरक्षण खंड(गंगा), उत्तराखण्ड जल संस्थान, हरिद्वार के विविध अग्रिम पंजिका की जाँच में पाया गया कि निम्नलिखित अधिकारियों/कर्मचारियों के विरूद्ध अग्रिम की वसूली की जानी थी जो लेखापरीक्षा तिथि तक लम्बित थी। विविध अग्रिम की यह धनराशि मासिक लेखे में भी नही दर्शायी जा रही हैं।

क्रम सं.	**अधिकारियों/कर्मचारियों का नाम**	**अग्रिम की वसूली**	**कब से**
01	श्री एम.के. सक्सेना	43463.00	01/2019
02	श्री अशोक के. सिंह	80000.00	06/2018
03	श्री अशोक सिंह	10000.00	01/2018
04	श्री चेतन प्रकाश	5000.00	10/2019
	योग	**138463.00**	

उक्त के संबंध में इकाई द्वारा अवगत कराया गया कि वसूली/समायोजन की कार्यवाही कर ली जायेगी। खंड का उत्तर मान्य नही हैं क्योंकि दो वर्षो से अधिक समय व्यतीत होने के पश्चात भी खंड द्वारा अग्रिम की वसूली नही की गयी।

अतः खंड द्वारा दो वर्षों से अधिक का समय व्यतीत होने के पश्चात भी अग्रिम की वसूली नहीं किए जाने का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता हैं।

STAN

प्रस्तर 01: ` 3.38 लाख धनराशि की घरेलू / अघरेलू / आश्रम से सीवर चार्ज की वसूली न किया जाना।

उत्तराखंड संस्थान पेयजल विभाग नोटिफ़िकेशन स. 1265/ उन्तीस (1) / 2010 – (03 अधि0) /11- दिनांक 28-02-2011 (उत्तर प्रदेश जल संभरण एवं सीवर व्यवस्था अधिनियम 1975) के अनुसार प्रत्येक बीजक को भुगतान देय तिथि तक किया जाना आवश्यक है, यदि उपभोक्ता द्वारा बीजक प्राप्त होने के 15 दिन तक भुगतान नहीं किया जाता है तो विच्छेदन की कार्यवाही किए जाने का प्रावधान है |

कार्यालय अधिशासी अभियंता,अनुरक्षण शाखा(गंगा), उत्तराखंड, जल संस्थान, हरिद्वार के वर्ष 2019-20 के सीवर सीट शुल्क के वसूली संबन्धित लेखा अभिलेखों की जांच मे पाया गया कि सीवर सीट शुल्क ` **3,38,135.00** की वसूली लम्बित पड़ी हैं।

जबकि देयकों उपभोक्ताओं को प्रस्तुत किए गए 08 माह से ज्यादा का समय हो चुका है उत्तराखंड संस्थान पेयजल विभाग नोटिफ़िकेशन के अनुसार कार्यालय द्वारा या तो विछेदन की जानी चाहिए या तो संबन्धित घरेलू/अघरेलू/आश्रम से वसूली की कार्यवाही की जानी चाहिए थी | परंतु कार्यालय द्वारा वसूली की कार्यवाही पूरी नहीं की जा सकी है जिसके फलस्वरूप ` **3,38,135.00** वसूली हेतु लंबित पड़ी हुए है |

उक्त के संबंध मे अवगत करने पर विभाग ने अपने उत्तर मे कहा कि जल्द ही वसूली कर ली जाएगी , यदि वसूली की कार्यवाही नहीं हो पायी तब भविष्य में UP Water Supply and sewerage Act, 1975 के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी।

विभाग का उत्तर मान्य नहीं है क्यूंकी बकाया की धनराशि 9 माह से भी ज्यादा से वसूली हेतु लंबित है |

प्रकरण उच्चाधिकारियों के सज्ञान मे लाया जाता है |

भाग-III

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण

क्रम संख्या	निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर का विवरण	
		भाग –II (अ)	भाग –II (ब)
1.	82/2015-16	-	01,02,03
2.	80/2019-20	-	01,03

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
कार्यालय द्वारा अनिस्तारित प्रस्तरों की अद्यतन आख्या उच्चाधिकारियों की संस्तुति सहित प्रस्तुत नहीं किया गया।				

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

.....शून्य.....

भाग-V

आभार

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु कार्यालय **अधिशासी अभियंता, अनुरक्षण शाखा (गंगा), उत्तराखण्ड जल संस्थान, हरिद्वार** के अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है। तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः

2. सतत् अनियमितताएः
   (i) शून्य
3. विगत लेखापरीक्षा से वर्तमान तक की अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया

क्रम सं0	**नाम**	**पदनाम**	**अवधि**
(i)	श्री अजय कुमार	प्रभारी अधिशासी अभियंता	विगत लेखापरीक्षा से वर्तमान तक।

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति **अधिशासी अभियंता, अनुरक्षण शाखा (गंगा), उत्तराखण्ड जल संस्थान, हरिद्वार** को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे उप महालेखाकार/ए.एम.जी-2 (Non-PSUs) कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखंड, महालेखाकार भवन, कौलागढ़, देहरादून- 248195 को प्रेषित कर दी जाए।

व. लेखापरीक्षा अधिकारी
ए.एम.जी.-II (Non-PSUs)